

# भारत में मानव विकास को समझना

अमरजीत सिन्हा



वर्ष 1986-87। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का वर्ष। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 42वें दौर का वर्ष। एन.एस.एस.ओ. का घातक अभ्यारोपण-ग्रामीण भारत के छह से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में 69.23% महिलाओं ने स्कूल में दाखिला लिया ही नहीं। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर बिहार की अनुसूचित जाति और आन्ध्र प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की ड्रॉप-आउट दर 100% रही!!

जाहिर है, स्वतंत्र भारत के पहले चार दशक स्कूल के दाखिले में सुधार लाने की दिशा में बुरी तरह से विफल रहे, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और लड़कियों के मामले में।

2014। एन.एस.एस.ओ. का 71वाँ दौर। इसी वर्ष सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान को लागू हुए डेढ़ दशक बीते। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय स्तर पर (आठवीं कक्षा) लड़कों और लड़कियों की कुल उपस्थिति के अनुपात में कोई अन्तर नहीं, 99% बच्चों ने स्कूल में दाखिला लिया, ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों के 99% घरों से दो किलोमीटर के भीतर प्राथमिक स्कूल और 86% घरों से दो किलोमीटर की के भीतर उच्च प्राथमिक स्कूल। स्कूलों में सार्वभौमिक भागीदारी एक वास्तविकता बन गई है। गुणवत्ता और अधिगम की चुनौती बनी हुई है क्योंकि जितने बच्चे स्कूल में दाखिला लेते हैं और स्कूल जाते हैं और वे जितने साल स्कूली शिक्षा पाते हैं उसके अनुरूप सीखने और लेखन की दक्षता प्राप्त नहीं कर पाते। सामाजिक आर्थिक जनगणना या एस.ई.सी.सी. 2011 से पता चलता है कि प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता पर बहुत देर से जोर देने का परिणाम कई परिवारों पर पड़ा, जहाँ बड़ी संख्या में 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले सदस्य निरक्षर हैं। एस.ई.सी.सी. के अनुसार हालाँकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्नातकों और हायर सेकेण्डरी पास लोगों की संख्या बढ़ी है लेकिन वह काफी कम है।

पिछला डेढ़ दशक मानव विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। सर्व शिक्षा अभियान (2001) के

अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005) और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम (2005) शुरू किए गए और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी. एस.वाई.) के तहत ग्रामीण सड़कों पर सम्मिलित रूप से जोर दिया गया। 15 वर्षों की इसी अवधि में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च आर्थिक विकास हुआ और प्रति व्यक्ति की आय में अपेक्षाकृत तेजी से वृद्धि हुई (ICE 360 अध्ययन 2013-2014)। गरीब परिवारों में प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि से उनके पास कुछ अतिरिक्त पैसा आया जो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने या स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने के काम आया।

प्राथमिक स्कूली शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी में सुधार, आय में वृद्धि, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के साथ-साथ सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता 'आशा' की भूमिका आदि यह दर्शाते हैं कि स्वास्थ्य और पोषण के सूचकों में सुधार हुआ है। कुछ सालों से (2003-05) शिशु मृत्यु दर 60 के आसपास स्थिर हो गई थी, वह 2013 में 40 से भी कम हुई है। कुल प्रजनन दर 2005 में 2.9 थी, वह 2013 में 2.3 हो गई है। सामान्य से कम वजन वाले बच्चों की संख्या 2004-05 में 42.1% थी, जो 2013-14 में घटकर 29.1% हो गई है। भले ही ये सुधार विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण न हों लेकिन कुछ साल पहले हम जहाँ थे, अगर हम उससे इन आँकड़ों की तुलना करें तो यह कहा जा सकता है कि 1986-87 में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हमारी जो स्थिति थी या इस सदी की शुरुआत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी जो स्थिति थी, उसमें अवश्य ही बहुत महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान से प्राथमिक शिक्षा की वित्तीय स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ हालाँकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत दी गई निधि स्वास्थ्य के लिए सरकारी व्यय में सकल घरेलू उत्पाद के लिए एक मामूली सुधार थी। जाहिर है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सरकारी व्यय में हुई एक मामूली वृद्धि भी स्कूलों में लैंगिक समानता और स्वास्थ्य सूचकों में सुधार लाने का महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। गुणवत्ता सम्बन्धी

चुनौतियों के लिए यह बात आवश्यक है कि शासन प्रणाली की न्यूनताओं को हटाने और संस्थागत विकास तथा शिक्षकों व स्वास्थ्य कर्मियों के पेशेवर विकास की न्यूनताओं को हटाने पर और ज्यादा बल दिया जाए। पिछले डेढ़ दशकों का समय पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण का समय भी रहा है। यह साफ नजर आ रहा है कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में, धीरे-धीरे ही सही लेकिन निश्चित तौर पर, महिला समाख्या के तहत महिलाओं के समूहों या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। इस अवधि में महिलाओं की साक्षरता में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। लेकिन चूँकि खाई काफी चौड़ी थी इसलिए अभी एक लम्बा रास्ता तय करना है। कई निर्वाचित महिला सरपंच अब अपने पति पर निर्भर नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के समाज में महिलाओं की भूमिका में एक प्रमुख सामाजिक बदलाव आ रहा है।

भारत के वैश्विक मानव विकास के दरजे में सुधार लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? इस प्रक्रिया में तेजी कैसे लाई जाए? यह बात ठीक है कि विविधताओं से भरा देश होने की वजह से भारत के सभी क्षेत्रों के लिए किसी एक आम समाधान के बारे में नहीं सोचा जा सकता, लेकिन ऐसी प्राथमिकताएँ हैं जिन पर सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो विश्वसनीय सार्वजनिक प्रणाली पर ध्यान देना होगा। इसके लिए सार्वजनिक भर्ती और सार्वजनिक प्रबन्धन में सुधार करना होगा। हमें मजिस्ट्रेटों की अपेक्षा अधिक प्रबन्धकों की जरूरत है। सार्वजनिक प्रणाली में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्कूलों को केवल मतदान केन्द्रों और शिक्षकों व स्वास्थ्य कर्मियों को मतदान के एजेंटों के रूप में नहीं देखा जा सकता। एक आदर्श शिक्षक और स्वास्थ्य कर्मी के चयन के लिए पारदर्शी तरीकों की योजना बनाने की जरूरत है। सच पूछा जाए तो दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों को क्रमिक रूप से विकसित करने की आवश्यकता है।

दूसरी बात, स्वयं सहायता समूह और ग्राम संगठनों जैसे संगठनों की संस्थागत भागीदारी के साथ ग्राम पंचायत के स्तर पर सभी पहलों का सम्मिलन होना चाहिए क्योंकि मानव विकास में संकीर्ण नौकरशाही का कोई स्थान नहीं है। शिक्षा, साक्षरता, स्वास्थ्य, कौशल, आजीविका, साफ-सफाई, पानी, आवास, पोषण, कृषि और गैर-कृषि

आजीविका, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय आदि को मानव विकास के मिशन की सामान्य कार्यवाही का हिस्सा होना चाहिए – संधारणीय विकास के लिए मानव कल्याण ही सभी पहलों का लक्ष्य होना चाहिए।

तीसरी बात, मानव कल्याण हेतु पर्याप्त वित्तीय प्रावधान के लिए केन्द्र, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा समयबद्ध प्रतिबद्धता होनी चाहिए। वित्तीयन तभी प्रभावी और सफल होता है जब वह समयोचित हो। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छी कार्य प्रणाली की प्रतिकारी उपस्थिति की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी चुनौतियों के लिए संस्थागत समर्थन और देखभाल की सार्वजनिक प्रणाली की आवश्यकता होती है।

चौथी बात, निर्वाचित प्रतिनिधियों में जवाबदेही की भावना महिला स्वयं-सहायता समूहों जैसे सामुदायिक संगठनों की प्रतिकारी संस्थागत भूमिका के जरिए आ सकती है। यह एस.एच.जी./वी.ओ. जैसे गरीबों के संगठनों की प्रतिकारी उपस्थिति का निर्माण करेगा जो निर्वाचित सरपंच के प्राधिकार के एकाधिकार को चुनौती दे सकता है।

पाँचवीं बात, किसी भी सार्वजनिक सेवा के लिए लोगों और पेशेवरों की साझीदारी आवश्यक है। सूचना प्रौद्योगिकी जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। निजी क्षेत्र वास्तव में सार्वजनिक प्रणाली के साथ जुड़ सकते हैं ताकि स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएँ, कौशल सम्बन्धी पहलें, कृषि व गैर-कृषि आजीविका के प्रयास बेहतर परिणाम दे सकें।

छठी बात, मानव विकास कार्यक्रमों के प्रबन्धन को नए कौशलों के साथ पर्याप्त रूप से मजबूत करना है। मानव विकास के लिए जिन सार्वजनिक प्रबन्धन सुधारों की जरूरत है उनके लिए संस्थानों को विकास और नियमन के लिए गढ़ना होगा। हमें अधिक प्रभावी ढंग से बेहतर शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों तथा कौशलों को विकसित करना होगा। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं और स्वास्थ्य कर्मियों/नर्सों के कौशल के विकास की संस्थाओं को उत्कृष्टता का ऐसा केन्द्र बनना होगा जिसमें शिक्षा पाने वालों को गुणवत्ता के लिए कौशलों को सीखने में सहायता मिले। अच्छे शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए संस्थागत क्षमता निर्माण से न केवल हमारी घरेलू जरूरतें पूरी होंगी बल्कि इस तरह के कर्मचारियों के लिए जो अतृप्त वैश्विक माँग है, उसे पूरा करने में भी

मदद मिलेगी। आईटी और इण्टरनेट की उपस्थिति के बावजूद विभव में शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों की माँग बहुत अधिक है। इसलिए हम जिस वैश्विक श्रेष्ठता की खोज में लगे हुए हैं उसके लिए इन दोनों संस्थाओं (शिक्षक प्रशिक्षण और स्वास्थ्य कर्मियों/नर्सों) पर जोर देना बहुत जरूरी है।

सातवीं बात, यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जो कुछ भी हमने ऊपर कहा है उसे करने के लिए हमें अपने आर्थिक विकास की उच्च दर को सुनिश्चित करना होगा। जब परिवार की आय में वृद्धि होती है तभी वे स्कूली शिक्षा की प्रक्रिया में और स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं को पाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं।

### उच्च शिक्षा – चुनौती का सामना करना

उच्च शिक्षा में सकल नामांकन यानी माध्यमिक-उच्च माध्यमिक का पूर्ण होना। जो परिवार गरीबी से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं यह उनकी आकांक्षा भी है। कम से कम सिद्धान्त रूप में ही सही लेकिन लोकतंत्र अति निर्धन परिवारों की आकांक्षाओं को उजागर करता है क्योंकि इसमें जन्मना किसी को भी अधिगम या सीखने से वंचित नहीं किया जाता! भारत में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन लिंग और सामाजिक असमानताओं के अन्तर को रेखांकित करता है। सकारात्मक विभेदीकरण की सभी पहलों और अल्पाधिकार प्राप्त लोगों के लिए सकारात्मक कार्रवाई के बावजूद उच्च शिक्षा में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों की भागीदारी अन्य अधिक सुविधा प्राप्त वर्गों से काफी कम है।

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता का सवाल सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि शिक्षित होते हुए भी रोजगार न मिलने वाली बात शिक्षा में सकल नामांकन की बढ़ती दरों पर सवाल उठाने लगी है। पिछले कुछ दशकों में निजी क्षेत्र में हुए विस्तार से लोगों को ज्यादा अवसर मिलने लगे हैं – खास करके उन लोगों को जो आर्थिक रूप से समर्थ हैं। लेकिन फिर भी गुणवत्ता, साम्यता और रोजगार की चुनौतियाँ निजी और सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित संस्थानों के लिए प्रासंगिक बनी हुई हैं।

सकल नामांकन अनुपात (GER) के 20 प्रतिशत को पार करने के साथ ही भारत उच्च शिक्षा के 'सर्वव्यापीकरण' के चरण में प्रवेश कर रहा है और ऐसे में कुछ नीतिगत मुद्दों पर स्पष्टता आवश्यक है। सबसे पहले तो उच्च शिक्षा, कौशल और रोजगार के सम्बन्ध को बेहतर रूप

से समझने की जरूरत है क्योंकि भावी विस्तार और सुधार को कौशल के मुद्दे का समाधान करना होगा। दुनिया भर में 'सर्वव्यापीकरण' के इस चरण में कौशल सम्बन्धी चुनौतियों पर अधिक ध्यान दिया गया है। इसके लिए उच्च शिक्षा में कौशलों के लिए एक भली-भाँति परिभाषित क्रेडिट ढाँचा चाहिए। दूसरे, उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को दिए जाने वाले विकल्पों की चुनौती से निपटना होगा। इसके लिए शिक्षक के नेतृत्व में विकल्प पर आधारित क्रेडिट ढाँचे की जरूरत है। शिक्षक के नेतृत्व में इसलिए ताकि संस्थागत स्तर पर शिक्षाविदों के सरोकारों पर चर्चा और विचार-विमर्श हो सके, उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए संकाय के सदस्य आपस में मिलें और लचीलेपन को विद्यार्थियों के साथ जुड़ाव के एक सहमतिपूर्ण ढाँचे के तहत स्वीकृत सिद्धान्त के रूप में माना जाए। विकल्प आधारित क्रेडिट ढाँचे को अकादमिक समाज द्वारा संचालित किया जाना चाहिए और जहाँ वास्तव में विविधता ताकत हो वहाँ यह एकता का नुस्खा नहीं हो सकता।

तीसरे, विस्तार के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उच्च शिक्षा के बारे में एक उत्कृष्टता की भावना है और शायद यह बात ज्यादा आसान और बेहतर हो कि नई सार्वजनिक संस्थाओं को शुरू करने की कोशिश करने की बजाय मौजूदा सार्वजनिक संस्थाओं को ही मजबूत किया जाए। किसी भी संस्था को पनपने में कई दशकों का समय लगता है। चीन की परियोजना 985, जिसमें 39 विश्वविद्यालयों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए फण्ड और लचीलापन दिया गया, एक ऐसा सबक है जो अनुकरणीय है।

नेतृत्व की गुणवत्ता उच्च शिक्षा संस्थानों को बना या बिगाड़ सकती है। उच्च शिक्षा संस्थानों के नेतृत्वकर्ताओं के लिए हमें खोज व चयन की कठोर प्रक्रिया अपनानी होगी। जिम्मेदार स्वायत्तता के साथ-साथ पेशेवर और अकादमिक रूप से विश्वविद्यालय के नेतृत्वकर्ताओं को चुनना ही साम्यता के साथ उत्कृष्टता पाने की कुंजी है।

गुणवत्ता की चुनौती के लिए एक ऐसी रूपरेखा की जरूरत है जो प्रत्यायन (accreditation), गुणवत्ता के आश्वासन और नियमन पर आधारित हो। अगर नियमन गुणवत्ता और उत्कृष्टता से समर्थित न हो और अगर यह उत्कृष्टता प्रत्यायन की भली-भाँति परिभाषित प्रक्रिया से न प्राप्त की गई हो तो मात्र नियमन प्रणाली मनमानी और अस्थिर हो जाती है। जब न्यूनतम मानकों को

तय करने की बात आए तो यही मापदण्ड सार्वजनिक और निजी संस्थानों पर लागू होने चाहिए। वस्तुनिष्ठ मान्यता की प्रक्रियाओं पर आधारित मानकों का न्यूनतम समायोजन एक ऐसा बेहतरीन तरीका है जो निष्पक्ष नियमन को स्थापित कर सकता है।

उच्च शिक्षा को प्रयोग और नवाचारों के लिए अकादमिक स्वतंत्रता की जरूरत होती है। विश्वविद्यालयों को इस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे जो कुछ पढ़ाना चाहते हैं उसकी रूपरेखा बना सकें और अपने पाठ्यक्रम और कोर्सों की योजना बना सकें। अनुरूपतावाद नाममात्र का होना चाहिए और शिक्षाविदों को इस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे पाठ्यक्रम को पुष्ट बना सकें। न्यूनतम मानक निर्धारित हों तो पाठ्यक्रम की अवधि भी लचीली होनी चाहिए। यू.जी.सी. और ए.आई.सी.टी.ई. जैसी नियामक संस्थाओं को पाठ्यक्रम के मामले में शैक्षिक और संस्थागत स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। इन नियामकों को संसार में चल रहे इसी प्रकार के सर्वोत्तम उदाहरणों से सीख लेनी चाहिए।

कौशलों को मुख्य धारा में लाने के लिए स्कूल प्रणाली के साथ जुड़ना होगा और ऐसे सामुदायिक कॉलेजों की स्थापना करनी होगी जो कुशल लोगों के उत्थान के लिए अवसर मुहैया करवाएँ। कौशलों में स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्स एक ऐसा तरीका है जो पीएच.डी. नलसाजों और बढई या काष्ठकारों के आविर्भाव को प्रोत्साहित कर सकता है। कौशल का सम्मान करने और केवल सफेदपोशी का कार्य करने के लिए शिक्षा पाने की सोच से परे जाने के लिए भारत को उनकी जरूरत है। इसके विकास के लिए तमिलनाडु के संकाय का प्रोफाइल एक बहुत ही रोचक जानकारी है। केवल यही एक ऐसा राज्य है जहाँ विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कौशल उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं (शिक्षक शिक्षा, पैरा डॉक्टर, पॉलिटैक्निक, चिकित्सा, नर्सिंग आदि) ने सामान्य बी.ए., बी.कॉम. और बी.एससी. जैसे कोर्सों की जगह ले ली है। हमारे केन्द्रीय भारत के क्षेत्र में इसी की जरूरत है जहाँ उत्कृष्टतापूर्ण कौशल आधारित विस्तार से जनसांख्यिकीय लाभांश को पाया जा सकता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कौशल का मतलब सिर्फ़ मेक इन इण्डिया नहीं है। यह तो सेवा क्षेत्र की जरूरतों, शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों, नर्सों आदि के बारे में बात करता है।

सार्वजनिक निवेश भी बढ़ना चाहिए क्योंकि ऐसे कई

उत्कृष्ट सार्वजनिक संस्थान हैं जिनको प्रतिकृत करने, नए परिसरों की स्थापना करने, राज्य और विदेशों में माँग पर आधारित विस्तार करने से उत्कृष्टता भी बढ़ेगी। जैसे हम निजी विश्वविद्यालयों को स्थापित करने में मदद करते हैं, ठीक वैसे ही हमें श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, लेडी श्री राम कॉलेज, सेंट स्टीफेन्स कॉलेज, टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस, एम्स, आई.आई.टी., एन.आई.टी. जैसी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के तरीके खोजने चाहिए ताकि अन्य राज्यों में इनकी शाखाएँ स्थापित की जा सकें। इसी प्रकार से राज्यों के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को पुनर्जीवित करने के लिए सार्वजनिक निवेश के द्वारा भौतिक बुनियादी ढाँचे, संकाय, शासन प्रणाली की न्यूनताओं के अन्तराल को दूर करने का प्रयास होना चाहिए। कुलपतियों और प्राचार्यों जैसे शैक्षिक नेतृत्वकर्ताओं के चयन में भ्रष्टाचार कतई स्वीकार्य नहीं है तथा उनका चयन एक ऐसी खोज समिति प्रणाली के माध्यम से किया जाना चाहिए जो पारदर्शी और सक्षम हो। यदि नेतृत्वकर्ताओं की उत्कृष्टता, अखण्डता और अकादमिक योगदान को व्यापक अभिस्वीकृति मिले तो इन संस्थाओं में अवश्य फर्क पड़ेगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि व्यक्तियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। राज्य विश्वविद्यालयों के वित्त पोषण में शासन प्रणाली की न्यूनताएँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों (आई.आई.टी., एम्स आदि) तथा राज्य विश्वविद्यालयों के बीच एक जैविक सम्बन्ध विकसित किया जाना चाहिए। केन्द्रीय संस्थानों को गति निर्धारक की भूमिका निभानी चाहिए और उन्हें राज्य विश्वविद्यालयों व संस्थानों के साथ जैविक रूप से जोड़ा जाना चाहिए। राज्य विश्वविद्यालयों के पास संसाधन के रूप में जमीन है जो वास्तव में एक बहुत बड़ा संसाधन है। अगर बुनियादी ढाँचे, मानव संसाधन, उपकरण और प्रबन्धन में पर्याप्त निवेश किया जाए तो उन्हें उत्कृष्टता के सम्पन्न शिक्षा केन्द्रों में बदला जा सकता है बशर्ते कि उनके साथ संस्थागत शासन सुधार भी हों।

निजी विश्वविद्यालयों और संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ-साथ हमें शैक्षिक संस्थानों के प्रबन्धन के ढाँचे को अनिवार्य रूप से अलाभकारी पंजीकृत समिति से कम्पनी अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थाओं में बदलना होगा जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में हुए मुनाफे के पुनर्निवेश का प्रावधान हो। इसके लिए उन्नीकृष्णन मामले में निर्णीत मुद्दों का जवाब

देने के लिए नए कानून की आवश्यकता होगी। स्कूल और कॉलेजों को ऊँचे प्रीमियम पर खरीदा और बेचा जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से, वे सभी अलाभकारी पंजीकृत समितियाँ हैं जो अधिशेष को उत्पन्न तो करती हैं पर मुनाफा नहीं कमा रहीं। इस वजह से खातों में हेरफेर होता है। इसके अलावा बैंक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना के लिए पैसे उधार नहीं देते क्योंकि वे अलाभकारी ढाँचे पर स्थापित होते हैं। इस वजह से शिक्षा-निवेशक या तो अपने स्वयं के/कम्पनी के अधिशेष (अजीम प्रेमजी, शिव नाडर) का उपयोग करते हैं या दान के माध्यम से फण्ड जुटाते हैं। साथ ही कुछ मामलों में गुप्त रूप से लिए हुए कैपिटेशन धन, काले धन और भ्रष्टाचार से बचाए हुआ धन का शिक्षा के क्षेत्र में निवेश हो जाता है क्योंकि शैक्षिक विस्तार बैंक से वित्त पोषित नहीं है। शैक्षिक उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए शैक्षिक संस्थानों को कम्पनी अधिनियम के तहत अनुमति देने की आवश्यकता है ताकि वे वास्तव में मुनाफा कमा सकें और बैंकिंग संस्थान की नजरों में वह उद्यम आर्थिक रूप से लाभप्रद बन जाए।

हमें ऐसे कई और शिक्षाविद उद्यमियों की जरूरत है जो उत्कृष्टतापूर्ण संस्थान बना सकें। हम इस बात पर तो जोर दे ही सकते हैं कि कुछ सालों तक मुनाफे को वापस शिक्षा के क्षेत्र में लगा दिया जाए।

देश की काफी बड़ी युवा आबादी बेरोजगार, अनियोजित या निम्न क्रम के कौशल और क्षमता वाला कार्य कर रही है, इसलिए हमारी सबसे बड़ी चुनौती है कौशलों का विकास करना तथा स्कूली शिक्षा की समाप्ति तक जीवन कौशल और क्षमताओं का विकास करना। इसके लिए समाज को यह प्रयास करना होगा कि निजी या सार्वजनिक प्रणाली में जितना सम्भव हो उतने लचीले ढंग से ऐसे कौशल पाने के अवसर प्रदान करे जिनका परीक्षण और प्रमाणन किया जा सके और जिसे वह उद्योग या सेवा-क्षेत्र रोजगार के प्रयोजन के लिए मान्यता दे। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं, पाठ्यक्रम निर्माण, कौशल और क्षमताओं के अधिग्रहण के परीक्षण, उद्योग और व्यापार के साथ सम्पर्क या अन्तःक्रिया, जनशक्ति नियोजन और पूर्वानुमान के साथ जुड़ना, बहु-कुशलता (मल्टी स्किलिंग) के प्रत्यायन (accreditation) के लिए ऊपर बताए गए सिद्धान्तों पर भली-भाँति तैयार की गई स्वायत्त संस्थानों की रूपरेखा को स्थापित करना होगा। मजबूत संस्थानों का विकास करना भारत की सबसे बड़ी चुनौती है।

अच्छे राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थानों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे प्रान्तीय शैक्षिक संस्थानों के साथ साझेदारी करें, उन्हें सहारा और समर्थन दें, उनकी क्षमताओं और व्यावसायिकता का निर्माण करें। इसी तरह विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी प्रमाणों पर आधारित ढाँचे के भीतर, राष्ट्रीय संस्था और संकाय के मजबूत केन्द्रक के साथ, विश्व स्तर पर प्रसिद्ध संस्था के साथ जुड़ने वाली होनी चाहिए। इसके अलावा इस बात पर भी जोर देना चाहिए कि इन वैश्विक संस्थाओं से अच्छे संकाय को लिया जाए अन्यथा भागीदारी का महत्त्व सीमित हो जाएगा। विश्वविद्यालयों के नियमन की संरचना में सुधार किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक साक्ष्य आधारित नवाचारों को बढ़ावा मिले और जिससे उत्कृष्टता और साम्यतामय विस्तार को प्रोत्साहन मिले।

अब समय आ गया है कि हम अध्यापन के पेशे में अच्छे मानव संसाधन को बनाए रखने के तरीकों के बारे में सोचें। हमें प्रमाणों पर ध्यान देना है और ऐसी रूपरेखा तैयार करनी है जो बुद्धिमान लोगों को वापस शिक्षण की ओर ले जाए। सहायक संकाय के रूप में शिक्षकों के लिए गुणवत्ता से समझौता किए बिना पात्रता की शर्तों में लचीलापन लाया जाए तो उद्यम से शिक्षण या शिक्षण से उद्यम में जाना सम्भव हो सकेगा। तमिलनाडु में सार्वजनिक स्वास्थ्य संवर्ग के साथ ऐसा बहुत प्रभावी ढंग से किया जाता है। उच्च वेतन के अलावा आवास, अनुकूल वातावरण, शोध के लिए समर्थन जैसी बातें लोगों को 'रिवर्स सबैटिकल' की ओर प्रोत्साहित करेंगी। सहायक संकाय के लिए एक ऐसी उदार नीति को प्रोत्साहन देना चाहिए जो उद्यम-अकादमिक संचार को बढ़ावा दे और अन्तर-अनुशासनात्मक विचार प्रक्रियाओं को उत्पन्न करे। शिक्षण संस्थानों में व्यवसायी अन्तर्दृष्टि अत्यन्त मूल्यवान होती है। जरूरत इस बात की भी है कि उन अक्षम लोगों को प्रणाली से बाहर निकाला जाए जिनकी तैनाती अपनी योग्यता के बलबूते पर नहीं बल्कि अपने सम्पर्कों और अधिकार के आधार पर हुई। सार्वजनिक प्रणाली में लोगों की भर्ती और नौकरी के हालातों में बहुत सुधार की आवश्यकता है ताकि अक्षम लोगों से बचा जा सके। इसके लिए नए कानून की जरूरत पड़ेगी अन्यथा केस के कानूनों में निहित सेवा की सुरक्षा के प्रावधानों की समस्या सामने आएगी। अब समय आ गया है कि हम सरकारी खजाने पर जीने वाले ऐसे लोगों के अधिकार पर फिर से नजर डालें जिनका

कार्य-निष्पादन सन्तोषजनक नहीं है। अगर हम ऐसा न करें तो समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि शैक्षिक सुधार भारत को बदलें तो शासन की न्यूनताओं को टालना ठीक नहीं। वे सार्वजनिक प्रणाली, उनकी कथित अक्षमता और उनके विकास की विफलता के मूल में हैं। हमें विश्वसनीय सार्वजनिक प्रणाली का सृजन करना है और ऐसा करने के लिए हमें प्रमाणों की मदद से सार्वजनिक भर्ती और सार्वजनिक प्रबन्धन का सुधार करना है।

शैक्षिक सुधार भारत को बदलने का और विशाल युवा आबादी को जनसंख्याकीय लाभांश में बदलने का सबसे

स्थायी रास्ता है। सकल घरेलू उत्पाद में छह प्रतिशत सार्वजनिक व्यय बढ़ाने और उत्कृष्टता व साम्यता के साथ विस्तार के लिए बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र के निवेश को सुविधाजनक बनाने के द्वारा भारत दस साल की समय सीमा में चीन के शैक्षिक विस्तार की दर से आगे निकल सकता है। युवा भारत के लिए यह बहुत अच्छा अवसर है, एक ऐसा भारत जो दुनिया को सबसे बड़ा कार्यबल प्रदान कर सकता है। सतत आर्थिक विकास और मानव कल्याण की उच्च दर हमारी इस क्षमता पर टिकी हुई है कि हम राष्ट्रीय परिवर्तन के वाहन के रूप में शिक्षा का उपयोग किस तरह से करते हैं। समावेशी भारत के लिए यही एक रास्ता है।

**अमरजीत सिन्हा** एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और मानव विकास में गहरी रुचि रखते हैं। वे सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की रचना करने वाली टीम में भी थे। उन्हें भारत के 643 जिलों में से 576 जिलों का दौरा करने और 15 से भी अधिक वर्षों तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए सामाजिक क्षेत्र के मॉड्यूल को संचालित करने का गौरव भी प्राप्त है। उनसे [amarjeetsinha@hotmail.com](mailto:amarjeetsinha@hotmail.com) पर सम्पर्क किया जा सकता है। **अनुवाद** : नलिनी रावल